राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद संख्या–92 (लो0सू0अ0)/2022–23

श्री ऋद्धि पाठक, निराला नगर, सिवान, पिन कोड–841226

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, पटना, बिहार

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
09.02.2023	श्री ऋद्धि पाठक, निराला नगर, सिवान, पिन कोड–841226 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–04.02.2023 इस कार्यालय में दिनांक–09.02.2023 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का चेक संलग्न है। लेखा पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रथम अपीलीय प्राधिकार, राजभवन, पटना के नाम से बैंक में कोई एकाउन्ट नहीं है, इस लिए अन्य माध्यम से राशि प्राप्त की जा सकती है। उपर्युक्त के आलोक में बिहार सूचना का अधिकार नियमावली, 2006 के नियम–3 (परिशिष्ट–1) के अनुसार 10/–रू॰ के अपील शुल्क की मॉग अपीलार्थी से अन्य माध्यमों से करें, ताकि अपील आवेदन स्वीकृत कर अग्रतर कार्रवाई की जा सके। साथ ही इनके द्वारा भेजे गए चेक को मूल प्रति में वापस करें। अपीलकर्त्ता श्री ऋद्धि पाठक ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–24.02.2023 को सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय को दिया था, परंतु लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा सूचना नही दिये जाने के फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। साथ ही उन्होंने उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक–24.02.2023 की प्रति संलग्न की है। अतः अपीलार्थी से अन्य माध्यम (चेक को छोड़कर) से शुल्क की मॉग करें तथा अभिलेख पुनः सुनवाई हेतु दिनांक–15.03.2023 को उपस्थापित करें। सभी संबंधित को सूचित करें। 9/2/2023 **विशेष कार्य पदाधिकारी** **–सह–** **प्रथम अपीलीय प्राधिकार**	

अपील वाद संख्या—92 / 2022—23

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
15.03.2023	दिनांक—09.02.2023 को पारित आदेश के क्रम में लोक सूचना पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त है, परंतु अपीलकर्त्ता से अपील शुल्क अप्राप्त है। लोक सूचना पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार श्री ऋद्धि पाठक, निराला नगर, सिवान, पिन कोड—841226 से प्राप्त प्रपत्र 'क' दिनांक—24.02.2023, राज्यपाल सचिवालय, पटना में दिनांक—09.02.2023 को प्राप्त हुआ है, जिसे लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय ने अपने पत्रांक—आर॰टी॰आई॰ / के॰एस॰डी॰यू॰—110 / 2022—16 दिनांक—25.01.2023 के माध्यम से सूचना का प्रेषण किया जा चुका है, जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित किया गया है। अपीलार्थी श्री ऋद्धि पाठक ने अधोहस्ताक्षरी के समक्षा यह अपील सूचना उपलब्ध नहीं कराने के कारण दायर किया था। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अपीलार्थी से प्राप्त अपील आवेदन पर अग्रतर कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। सभी संबंधित को सूचित करें। 15/3/2023 विशेष कार्य पदाधिकारी —सह— प्रथम अपीलीय प्राधिकार	